

**18.03.2024 को आयोजित कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति बैठक का विवरण**

18.03.2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त श्री ए बिपिन मेनन की अध्यक्षता में मोहाली/चंडीगढ़ क्षेत्र में निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई अनुमोदन समिति के कार्यवृत्त आयोजित किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान इकाई अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा।
2. श्री संजय चौधरी, सहायक, डीजीएफटी लुधियाना
3. श्री कमलप्रीत सिंह, उप प्रबंधक, पीएसआईसी।

इसके अलावा, बैठक के दौरान अनुमोदन समिति की सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे

- i. श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
- ii. श्री करण गोयल, सहायक विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र मोहाली/चंडीगढ़
- iii. श्री संदीप कुमार, निर्दिष्ट अधिकारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र मोहाली/चंडीगढ़
- iv. श्री मनीष भटनागर, प्राधिकृत अधिकारी, आरजीसीटीपी I और II, चंडीगढ़
- v. श्री दीपक बजाज, प्राधिकृत अधिकारी, कार्कसिटी (विशेष आर्थिक क्षेत्र), मोहाली

चूंकि गणपूर्ति उपलब्ध था, इसलिए बैठक कार्यसूची के अनुसार क्रमिक रूप से आगे बढ़ी। प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ इकाइयों के आवेदकों/प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

**कार्यसूची मद संख्या 1:-**

**विषय: 27.02.2024 को आयोजित इकाई अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।**

1.1 समिति को सूचित किया गया कि 27.02.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के खिलाफ समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था और इसलिए, 27.02.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

**कार्यसूची मद संख्या 2:- अनुमोदन हेतु पूंजीगत वस्तुओं की सूची का प्रस्ताव:-**

**2.1 स्वीकृति पत्र संख्या एफ2/7/2005-ईपीजेड दिनांक 22.05.2008 - मेसर्स सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सह-विकासक- संबंध में**

2.1.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि सनी व्यू एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (सह-विकासक) ने अपने पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2024 के माध्यम से अपने अधिकृत संचालन के लिए 761.49 लाख रुपये के सामान की सूची प्रस्तुत की थी। सह-विकासक ने अपने अनुरोध के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 12(2) के तहत परिकल्पित अधिकार प्राप्त अभियंता प्रमाणपत्र भी संलग्न किया है।

2.1.2 अधिकार प्राप्त अभियंता प्रमाणपत्र में यह भी प्रमाणित किया गया कि उक्त सामान का उपयोग एक वर्ष की अवधि के साथ किया जाएगा। माल की सूची का अधिकृत संचालन-वार विवरण इस प्रकार है: -

*सुरेंद्र मलिक*

क्र.सं.	अधिकृत संचालन का नाम	रकम	निर्देश संख्या 50 के अनुसार अधिकृत संचालन
1.	अधिकृत संचालन: जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), मल लाइनें, तूफान जल निकासी और उचित क्षमता के जल चैनल।	29.00	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 02
2.	अधिकृत संचालन: ठोस और तरल अपशिष्ट संग्रह, उपचार और निपटान संयंत्र जिसमें पाइपलाइन और मल और कचरा निपटान, मल उपचार संयंत्र के लिए अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचे शामिल हैं।	11.03	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 03
3.	अधिकृत संचालन: विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक उप-स्टेशनों, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं।	199.59	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 04
4.	अधिकृत संचालन: इंटरनेट संयोजकता (Internet connectivity) सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	3.13	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 05
5.	अधिकृत संचालन: छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	38.95	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 07
6.	अधिकृत संचालन: प्रसंस्करण क्षेत्र में इनडोर/आउटडोर खेल, व्यायामशाला/कर्मचारी शौचालय जैसी मनोरंजक सुविधाएं।	85.15	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 19
7.	अधिकृत संचालन: कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे क्रेच, मेडिकल सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं।	1.05	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 20
8.	अधिकृत संचालन: प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन।	184.36	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 21
9.	अधिकृत संचालन: प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	101.45	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 22
10.	अधिकृत संचालन: अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	13.85	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 24
11.	अधिकृत संचालन: प्रसंस्करण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया/कैंटीन।	93.93	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 27
	<b>कुल</b>	<b>761.49</b>	

2.1.3 सह-विकासक ने 2023-24 के लिए क्यूपीआर और एचपीआर जमा कर दिया है। विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	अवधि	जमा करने की तिथि
1	क्यूपीआर	अप्रैल, 2023 से जून, 2023	26.07.2023
2	क्यूपीआर	जुलाई, 2023 से सितम्बर, 2023	26.10.2023
3	क्यूपीआर	अक्टूबर, 2023 से दिसंबर, 2023	22.01.2024
4	एचपीआर	अप्रैल, 2023 से सितंबर, 2023	26.10.2023

2.1.4 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जतिंदर सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.1.5 विस्तृत परीक्षण के बाद, अनुमोदन समिति ने सह-विकासक सूनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के 761.49 लाख रुपये के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। यह इसके अधिकृत संचालन के लिए आवश्यक रेफ्रिजरेट गैसों की सूची प्रस्तुत करने और यह सुनिश्चित करने के अधीन है कि इनमें से कोई भी निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध नहीं है।

सुरेंद्र मलिक

**2.2 स्वीकृति पत्र संख्या एफ2/7/2005-ईपीजेड दिनांक 22.05.2008 - मेसर्स सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सह-विकासक - संबंध में;**

2.2.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि सनी व्यू एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (सह-विकासक) ने 04 मार्च 2024 के पत्र के माध्यम से अपने अधिकृत संचालन के लिए 5.92741 लाख रुपये के सामान की सूची प्रस्तुत की थी। सह-विकासक ने अपने अनुरोध के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 12(2) के तहत परिकल्पित अधिकार प्राप्त अभियंता प्रमाणपत्र भी संलग्न किया है।

2.2.2 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि विकासक ने कहा है कि ये सामान पहले से ही विशेष आर्थिक क्षेत्र परिसर में स्थापित हैं और एस्केलॉन बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई) द्वारा खरीदे गए हैं। इकाई एस्केलॉन बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई) विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर निकलने की प्रक्रिया में है और उसने बाहर निकलने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक महीने के अस्थायी विस्तार के लिए आवेदन किया था। इकाई सह-विकासक को माल हस्तांतरित करेगी; इसलिए इसके लिए अनुमोदन आवश्यक है।

अधिकृत संचालन के तहत उक्त कार्यालय सेट-अप में स्थापित/निर्धारित सामग्री का विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	अधिकृत संचालन का नाम	रकम	निर्देश संख्या 50 के अनुसार अधिकृत संचालन
1.	अधिकृत संचालन: जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), मल लाइनें, तूफान जल निकासी और उचित क्षमता के जल चैनल।	0.35636	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 02
2.	अधिकृत संचालन: विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक उप-स्टेशनों, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं।	2.19651	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 04
3.	अधिकृत संचालन: प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन।	3.11882	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 21
4.	अधिकृत संचालन: प्रसंस्करण क्षेत्र में इनडोर/आउटडोर खेल, व्यायामशाला/कर्मचारी शौचालय जैसी मनोरंजक सुविधाएं।	0.25572	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 22
	<b>कुल</b>	<b>5.92741</b>	

2.1.3 सह-विकासक ने 2023-24 के लिए क्यूपीआर और एचपीआर जमा कर दिया है। विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	अवधि	जमा करने की तिथि
1	क्यूपीआर	अप्रैल, 2023 से जून, 2023	26.07.2023
2	क्यूपीआर	जुलाई, 2023 से सितंबर, 2023	26.10.2023
3	क्यूपीआर	अक्टूबर, 2023 से दिसंबर, 2023	22.01.2024
4	एचपीआर	अप्रैल, 2023 से सितंबर, 2023	26.10.2023


2.2.4 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जतिंदर सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव के बारे में बताया।


2.2.5 विस्तृत परीक्षण के बाद अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से सह-विकासक सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत संचालन के लिए 5.92741 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त

सुरेंद्र मलिक

के अधीन है कि विकासक के परिसर में छोड़ी गई इकाई के शुल्क भुगतान किए गए सामानों की सूची भी प्रदान की जा सकती है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

  
(सुरेंद्र मलिक)  
संयुक्त विकास आयुक्त

  
(ए. बिपिन मेनन)  
विकास आयुक्त